इंडिया एफडीआई वॉच

इंडिया एफडीआई वॉच बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत के खुदरा व्यवसाय पर कब्जे को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने और जरूरी कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाला संगठन है। हम ऐसे लोगों के नेतृत्व में ज्वांइट एक्शन कमेटियां (जेएसी) बना रहे हैं जो इन बदलावों के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। अब तक हमने व्यापारिक संगठनों, यूनियनों, फेरी वालों के संगठनों, किसान संगठनों और लघु उद्योगों के साथ मिलकर संयुक्त समीतियां बनाई हैं।

दिल्ली में एक नैशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इंडिया एफडीआई वॉच इस कमेटी का फेसिलिटेटर और घटक है। यह नैशनल स्टीयरिंग कमेटी अब व्यापार रोजगार बचाओ आंदोलन के बैनर तले काम कर रही है। मुम्बई में एफडीआई वॉच व्यापार रोजगार सुरक्षा कृति समीति का अध्यक्ष और घटक संगठन है। बंगलौर में इंडिया एफडीआई वॉच औद्योगिक खुदरा व्यवसाय के खिलाफ बनाई गई कर्नाटक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक प्रमुख सदस्य और संयोजक है।

नैशनल स्टीयरिंग कमेटी देश भर में सक्रिय साझीदारों तथा मुम्बई और बंगलौर में स्थित ज्वाइंट एक्शन कमेटियों के साथ मिलकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कार्रवाई करने और प्रभावितों की सुरक्षा के लिए नीतिगत बदलाव लाने पर जोर दे रही है। अगले साल भर के दौरान इंडिया एफडीआई वॉच नैशनल स्टीयरिंग कमेटी के साथ मिलकर इस अभियान के जनाधार को फैलाने के लिए प्रयास करेगा। देश भर में सक्रिय जनसंगठनों को भी इस मुहिम में शामिल किया जाएगा।

इंडिया एफडीआई वॉच राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाहियों को समन्वित और संचालित करने में मुख्य शक्ति रहा है। भारती के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वॉल मार्ट के उपाध्यक्ष की भारत यात्रा के समय 22 फरवरी को एक महत्वपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अभी इन दोनों कम्पनियों के बीच करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अब सोनिया गांधी के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यलय ने भी वाणिज्य मंत्रालय को आगाह किया है कि वह इस बारे में कोई फैसला लेने से पहले मौजूदा खुदरा व्यापारियों, किसानों और निर्माताओं पर खुदरा क्षेत्र में बड़ी कम्पनियों की घुसपैठ से होने वाले असर का अच्छी तरह अध्ययन कर लें। इस संदर्भ में अध्ययन अभी जारी है।

9 अगस्त 2007 को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर इंडिया एफडीआई वॉच एक राष्ट्रीय विरोध दिवस के तौर पर अपने राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सहयोगियों के साथ मिलकर "कम्पनियों खुदरा छोड़ो" आंदोलन छेड़ने जा रहा है। इस दौरान देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा और केन्द्र एवं राज्य सरकारों को आंदोलन की मांगों से अवगत कराया जाएगा।

सम्पर्क :

दिल्ली	–	धर्मेन्द्र कुमार	मोबाईल : 0-9871179084
मुम्बई	–	विनोद सेठी	मोबाईल : 0-9820510146
बैंगलोर	–	बाबू खान	मोबाईल : 0-9343859687

www.indiafdiwatch.org

धर्मेन्द्र कुमार द्वारा : इण्डिया एफडीआई वाच द्वारा जारी, ईमेल : dkfordignity@yahoo.co.uk

देशी–विदेशी बड़ी कम्पनियां खुदरा–व्यापार छोड़ो

औद्योगिक खुदरा व्यवसाय का विरोध क्यों

- **छोटे व्यवसायों, रेहड़ी वालों, व्यापारियों, कोऑपरेटिव स्टोर्स के लिए खतरा**

  वॉल मार्ट तथा अन्य कम्पनियों ने विभिन्न देशों में लाखों छोटे कारोबारियों को तबाह कर दिया है। भारत के 1.2 करोड़ दुकानदारों के लिए भी ये कम्पनियां सीधा खतरा है। हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि खेती के बाद हमारा खुदरा क्षेत्र ही रोजगार का सबसे बड़ा साधन रहा है।

- **किसानों के लिए खतरा**

  हमारे देश में खेती रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। वॉल मार्ट, रिलायंस तथा अन्य बड़ी कम्पनियां छोटे और मझोले किसानों को हाशिए पर धकेलते हुए अनुबंध कृषि को तेजी से बढ़ावा दे रही हैं।

- **सप्लायरों तथा छोटे उद्योगों के लिए खतरा।**

  वॉल मार्ट सप्लायरों को ज्यादा से ज्यादा दबाने के लिए बदनाम रही है। उसके साथ कारोबार करने वाली सप्लायर फैक्टरियों का घाटा बढ़ता जाता है और वे बंद हो जाती हैं। दूसरी तरफ जब तक ये फैक्टरियां चलती हैं, मजदूरों को ज्यादा समय तक और कम वेतन पर काम करना पड़ता है।

- **रोजगारों के लिए खतरा**

  इन कम्पनियों का दावा है कि वे 20 लाख नए रोजगार पैदा करेंगी। लेकिन उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि उन 20 करोड़ लोगों का क्या होगा जो फिलहाल अपनी आजीविका के लिए खुदरा व्यवसाय पर आश्रित हैं।

हमारी मांगे : -

- खुदरा व्यापार में देशी-विदेशी बड़ी कंपनियों पर पाबंदी का सख्त कानून बनाओ।

- 'होलसेल कैश एण्ड कैरी' रद्द करो - वालमार्ट की घुसपैठ पर रोक लगाओ।

- खुदरा व्यापार और लघु उद्योगों पर राष्ट्रीय नीति लाओ।

- 'फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति' अविलंब लागू करो।

- खुदरा कंपनियों के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संबंधित पक्षों को शामिल कर 'स्पेशल टास्क फोर्स' का गठन करो।

- 'प्रीडेटरी प्राईसिंग' और कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी रवैये के खिलाफ कानून बनाओ।

- APMC कानून में 'मॉडल' बदलावों को समाप्त करो।